" हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं"

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED

(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)

Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

निरीक्षण रिपोर्टों के मुखपृष्ठों की छपाई के लिए निविदाओं के आमंत्रण की सूचना(एनआईटी)

निविदा दस्तावेज

भारत सरकार के उद्यम, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ छापने के लिए दो वर्ष के लिए ''**सीलबंद बोलियाँ** " आमंत्रित की जाती हैं। कार्य-क्षेत्र और मदों की अनुमानित आवश्यक मात्रा अनुबंध-1 में दी गई है। बोलीदाताओं को अपनी दरें अनुबंध-2 में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी। कार्य की अनुमानित वार्षिक राशि लगभग 2 लाख रू. होगी।

बोलियों को अनुबंध-2 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में भरकर एक सीलबंद लिफाफे में रखकर भेजना होगा जिसके ऊपर '**निरीक्षण रिपोर्ट का मुखपृष्ठ छापने के लिए बोलियां** ' लिखना होगा। बोलियों पर बोलीदाता फर्म की ओर से विधिवत् प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति को हस्ताक्षर करने होंगे और इन्हें निम्नलिखित पते पर भेजना होगाः

श्री ए.के. अरोड़ा,
उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली- 110003

3. आरईसी में सीलबंद बोलियाँ 7 जुलाई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों पर, दरें कम होने के बावजूद, विचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को उसी दिन, अर्थात् 7 जुलाई, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे, बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

4. **बोली दस्तावेज** के साथ बयाने की राशि (ईएमडी) के रूप में 5000 रु. (केवल पाँच हज़ार रूपए) जमा कराने होंगे। अग्रिम जमा राशि का भुगतान रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से करना होगा। इस अग्रिम जमा राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अनिवार्य राशि के बिना प्राप्त होने वाली बोलियों को अवैध माना जाएगा और आरईसी द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा।

5. यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान बोली वापिस लेगा, तो बयाने की जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

6. सफल बोलीदाता की बयाने की जमा राशि को ठेके के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में जमा कर लिया जाएगा और ठेका पूरा हो जाने के बाद ही मुक्त किया जाएगा।

7. बोली प्राप्त होने की तारीख से 4 माह की अवधि तक वैध रहेगी।

8. <u>दरें एवं मूल्य</u>

8.1 बोलीदाताओं को अपनी दरें अनुबंध-**2** में दिए गए प्रारूप में उद्धृत करनी होंगी।

8.2 आपूर्ति दौरान बोलीदाता द्वारा देय सभी कानूनी शुल्कों, करों (उत्पाद एवं सीमा शुल्क), वैट और अन्य शुल्कों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। उद्धृत दरें पक्की होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की वैधता अवधि के दौरान दरों, मूल्यों या शर्तों में कोई बदलाव करने पर बयाने की जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

8.3 पत्रिकाओं, पुस्तकों, इत्यादि की सप्लाई और सुपुर्दगी के लिए किसी अतिरिक्त भाड़े या किसी अन्य शुल्क, इत्यादि का भुगतान नहीं किया जाएगा। मदों की सुपुर्दगी आरईसी के निर्देशों के अनुसार स्कोप बिल्डिंग में स्थित आरईसी कार्यालय में करनी होगी।

8.4 कोई भी छूट बिना किसी शर्त के होगी।

9. <u>भुगतान की शर्तें</u>

बिल प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर तथा आरईसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करने पर बिल का भुगतान किया जाएगा कि सेवाओं को संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया गया है।

10. बोलियों का मूल्यांकन

वैध बोलियों को न्यूनतम उद्धृत दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। यहाँ तक कि केवल एक अकेली बोली को अनुकूल पाए जाने पर उसे ही ठेका सौंपा जा सकता है। अनुबंध-2 में निर्धारित अर्हक मानदंडों को पूरा न करने वाली बोलियों को, उद्धृत दरें कम होने के बावजूद, सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

11. आपूर्ति में विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी

11.1 किसी ठेके के लिए समय का पालन महत्वपूर्ण होता है। सफल बोलीदाता को समय सीमा का पालन करना होगा और काम समय पर पूरा करना होगा। निर्धारित तारीख को या उससे पहले सम्पूर्ण या आंशिक आपूर्ति में असफल रहने पर, ठेकेदार को पूर्व-अनुमानित पूर्व-निर्धारित परिनिर्धारित नुकसानी का भुगतान करना होगा जो प्रति सप्ताह कुल ठेका मूल्य के 2 प्रतिशत और अधिकतम कुल ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

11.2 आदेश पूरा करने में निर्धारित अवधि से 10 दिन से अधिक समय का विलम्ब करने पर, आरईसी को +उक्त परिनिर्धारित नुकसानी लगाकर आदेश रद्द करने का अधिकार होगा।

12. सुलह/मध्यस्थता(ब्रैं⎕ूद्रे हाि)ं

12.1 दोनों पक्षों के बीच, किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर दोनों पक्षों को इसके सौहार्दपूर्ण समाधान और समझौते के लिए, सीएमडी, आरईसी द्वारा नियुव्त समिति के माध्यम से तत्काल बातचीत करनी होगी।

12.2 किसी एक पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यदि दोनों पक्षों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समझौता या समाधान नहीं हो, तो उक्त विवाद या मतभेद को निपटारे के लिए सीएमडी, आरईसी द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थक के पास भेज दिया जाएगा।

12.3 विवाद या मतभेद होने तथा/अथवा उसे मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बावजूद, ठेकेदार को ठेके के तहत सौंपे गए कार्य का निष्पादन किसी व्यवधान के बिना,

व्यावसायिक तरीके से पूरे अध्यवसाय और तत्परता से जारी रखना होगा। उक्त विवाद या मध्यस्थता की कार्रवाई के कारण ठेकेदार को देय राशि का भुगतान नहीं रोका जाएगा, जब तक कि मध्यस्थता का विषय उक्त भुगतान न हो।

12.4 मध्यस्थता की कार्रवाई वर्तमान मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 तथा समय-समय पर संशोधित और लागू भारतीय कानूनों के अनुसार की जाएगी।

12.5 मध्यस्थता की कार्रवाई नई दिल्ली, भारत में की जाएगी। मध्यस्थक की फीस और अन्य शुल्क उक्त अधिनियम के संदर्भ में मध्यस्थक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा इसका दोनों पक्षों को बराबर-बराबर भुगतान करना होगा।

12.6 मध्यस्थक को स्पष्ट और तर्कसंगत अधिनिर्णय देना होगा। मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान किसी भी पक्ष को वादकालीन ब्याज आदि मांगने और अपने हित में कार्रवाई निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा।

13. अपरिहार्य घटनाएँ

13.1 यदि कोई पक्ष, किसी अपरिहार्य घटना के कारण ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहेगा, तो उक्त अपरिहार्य घटना से प्रभावित होने वाले पक्ष के सापेक्ष दायित्व को उस अवधि तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह स्थिति जारी रहती है।

13.2 यहाँ प्रयोग की गई शब्दावली "अपरिहार्य घटना" का तात्पर्य है, ठेके के निष्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदाएँ, युद्ध, नागरिक उपद्रव, अग्नि, बाढ़ इत्यादि तथा सरकार के ऐसे नियम और कानून जो आरईसी और ठेकेदार दोनों को प्रभावित करते हों।

13.3 उक्त घटना होने तथा उसके समाप्त होने पर, उपरोक्त घटना के कारण ठेके को पूरा करने में असफल रहने वाले पक्ष को, अपरिहार्य घटना की श्रेणी में आने वाली उक्त घटना के क्रमशः आरंभ होने तथा समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित रूप में अधिसूचित करना होगा। उक्त अपरिहार्य घटना के कारण आपूर्ति 2 (दो) माह से अधिक समय तक निलंबित रहने पर, आरईसी किसी दायित्व के बिना, अपने विवेकाधिकार से ठेके को पूरा या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा।

13.4 अपरिहार्य स्थिति के कारण निलंबित हुए सापेक्ष दायित्व के निष्पादन की अवधि को उक्त घटना समाप्त होने के बाद उतनी अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा।

14. <u>अनुप्रयुक्त कानून एवं क्षेत्राधिकार</u>

इस ठेके से संबद्ध सभी मामलों पर अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार के इस समय लागू भारतीय कानून लागू होंगे और पूर्ण रूप से दिल्ली स्थित भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

15. कोई वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. आरईसी को ठेका सौंपने से पूर्व किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा जिसमें कोई एक या सभी बोलियाँ प्राप्त होने के पश्चात् नामंजूर कर देना शामिल होगा और उस पर इसके कारण प्रभावित होने वाले बोलीदाता के प्रति किसी देनदारी का अथवा आरईसी की कार्रवाई से प्रभावित होने वाले बोलीदाता/बोलीदाताओं को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

17. आरईसी को, आदेश प्रस्तुत करने से पहले, किसी देनदारी के बिना, किसी भी समय किसी भी बोली को मंजूर या नामंजूर करने तथा बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा।

18. इस दस्तावेज के संबंध में कोई भी जानकारी निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती है:-

श्री ए.के. अरोड़ा उप महा प्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **<u>नई दिल्ली- 110003</u>** टेलीफोन न.: 24366921	श्री ओ.पी. अग्रवाल वरिष्ठ अधिकारी (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **<u>नई दिल्ली- 110003</u>** टेलीफोन न.: 24365392

अनुबंध- **1**

कार्य का क्षेत्र और मदों की अनुमानित आवश्यकता

रिपोर्टों के मुखपृष्ठों की छपाई और आपूर्ति निम्नलिखित विवरण के अनुसार करनी होगी:-

1.	माप	ए-4
2.	कागज़	इंडियन आर्ट कार्ड (बल्लारपुर) 300 जीएसएम
3.	छपाई	अग्र पृष्ठः बहुंगी छपाई पिछला पृष्ठः तीन रंगों में ऑफसेट प्रिटिंग, डाई कटिंग और मुख्य पृष्ठ पर 3"x 5.5" माप की पारदर्शी शीट चिपकाना
4.	लैमिनेशन	अग्र पृष्ठ और पिछले पृष्ठ का लैमिनेशन
5.	अनुमानित वार्षिक मात्रा	कुल संख्या 30,000

सामग्री की सुपुर्दगी, आवश्यकतानुसार, स्कोप कांप्लेक्स स्थित आरईसी कार्यालय या पालिका भवन में करनी होगी।

नियत समयावधः छपाई और आपूर्ति का काम आदेश की तारीख से 7 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

अनुबंध-2

रिपोर्टों के मुखपृष्ठों की छपाई - तकनीकी-आर्थिक बोली

1- फर्म का विवरणः

क)नाम...ख)पंजीकृत पता...

ग)दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय का पता ....

घ) संपर्क व्यक्ति का विवरण

1)नाम एवं पदनाम ....

2) पता ....

3) फोन नं.(लैंडलाइन) ....मोबाइल ....

4) ईमेल आईडी ....

2. फर्म का प्रकार : स्वामित्व/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड

कोऑपरेटिव/एनजीओ/पीएसयू

(कृपया पंजीकरण की प्रति/दस्तावेज संलग्न करें)

3. पैन नं. : ....

(अनिवार्य; कृपया फोटोप्रति संलग्न करें)

4. वैट/टिन नं. : ....

(अधिमान्य; कृपया फोटोप्रति संलग्न करें)

5. पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी कार्य क्षेत्र में अनुभव(पिछले तीन वर्ष के दौरान उसने कम से कम पाँच प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए समान कार्य किया हो, जिसमें से कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/सरकारी विभाग शामिल हो)

(प्रमाण के लिए कृपया दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें)

....

संलग्नक (कृपया उल्लेख करें)

6. बयाने की जमा राशि का विवरणः

डीडी नं.....................दिनांक............. .

राशि रु. **5000/-**

द्वारा जारी(बैंक का नाम/पता)

....

7. अनुबंध-**1** में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार मुखपृष्ठों की छपाई के लिए उद्धृत दरें

क्र.सं.	मद	करों के अतिरिक्त दरें (रु.)
1.	**5000** मुखपृष्ठों की छपाई का मूल्य	
2.	**2000** मुखपृष्ठों की छपाई का मूल्य	
3.	**1000** मुखपृष्ठों की छपाई का मूल्य	
4.	**500** मुखपृष्ठों की छपाई का मूल्य	
5.	कर/वैट (कृपया उल्लेख करें ________________ ________________	

मैं/हम, एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम............................

पदनाम..........................

मोहरः